प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 14.11.2024

क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा फैक्ट्रियों के गार्डों को बन्धक बनाकर लूट करने वाले गिरोह का सरगना, वाँछित 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से लूट का 52.100 किलोग्राम कॉपर वायर बरामद

दिनाँक-07/09/24 को श्री हरजिन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री कुलवन्त सिंह निवासी जूट मिल कम्पाउण्ड पटेल मार्ग गाजियाबाद ने थाना सिहानीगेट पर आकर सूचना दी थी कि सुबह 05 बजे पटेल मार्ग गाजियाबाद स्थित उनकी कम्पनी एस0पी0 इलैक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग वर्क्स का अज्ञात बदमाशों द्वारा गार्ड को बन्धक बनाकर ताले तोडकर कॉपर वायर लूट लिया गया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर तत्काल कार्यवाही करते हुए 02 अपराधियों को पूर्व मे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है उक्त सनसनीखेज लूट के अभियोग मे फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर पुलिस उपायुक्त नगर जोन द्वारा 25-25 हजार रूपये का नगद पुरस्कार दिनाँक-21/09/24 को घोषित किया गया था।

आज दिनाँक-14/11/2024 को क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा उपरोक्त सनसनीखेज लूट करने वाले गिरोह के सरगना / ईनामी अपराधी नदीम उर्फ कल्लू उर्फ नूर मोहम्मद उर्फ आकाश को हमदर्द चौराहा लोहिया नगर थाना सिहानीगेट क्षेत्र से गिरफ्तार करनें में महत्तवपूर्ण सफलता हासिल की गई है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से उपरोक्त कम्पनी की लूट से सम्बन्धित 52.100 किलोग्राम कॉपर वायर बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त नदीम उर्फ कल्लू ने बताया कि वह अनपढ है, पहले वह कपडे की फेरी करता था परन्तु उसमे ज्यादा मेहनत थी और आमदनी ज्यादा नही होती थी । इसने वर्ष 2002 मे पहली बार केशव पुरम दिल्ली में चोरी की जिसमें इसको काफी माल मिला उसके बाद वह धीरे-धीरे घरों मे व वाहनों की चोरियों मे लिप्त हो गया, फिर इसने अपना एक चोरों का गैंग बना लिया। वर्ष 2005 मे इसने खजूरी खास दिल्ली मे पहली बार अपने साथियों के साथ डकैती की घटना को अंजाम दिया जिसमें वह अपने साथियों के साथ जेल गया था। जेल से छूटने के बाद इसने अपराध करना नही छोडा लगातार अपराध मे लिप्त रहा । वर्ष 2010 में शाहदरा दिल्ली सें मकोका एक्ट के अन्तर्गत भी जेल गया था । जेल में 07 वर्ष बिताने के बाद जमानत पर बाहर आया परन्तु कुछ दिनों बाद ही दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुनः चोरी/लूट/डकैती की घटनाऐं कारित करने लगा। इसने अपने साथियों के साथ दिनाँक-07/09/24 को थाना सिहानीगेट क्षेत्र में गार्ड को बन्धक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था, घटना करने से पहले नदीम उर्फ कल्लू या इसके साथी कबाड की फेरी आदि करके पहले रैकी करते है फिर रात में एक जगह इकट्ठा होकर मोबाईल स्विच ऑफ करके

घटना कारित करने जाते है घटना कारित करने के बाद उससे जो भी पैसे मिलते है उसे आपस में बराबर-बराबर बाँट लेते है सूचना या रैकी करने वाले को 10,000 रू0 अलग से देते है। अपने-अपने हिस्से मे आये रूपयो से ये लोग अपने शौक व खर्चे पूरे करते है ।

पूछताछ पर अभियुक्त नदीम उर्फ कल्लू उर्फ नूर मोहम्मद उर्फ आकाश ने चोरी/लूट करने वाले अन्य फरार अपराधियों के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से जनपद गाजियाबाद, दिल्ली एन.सी.आर. व आस-पास के क्षेत्रों मे चोरी/लूट की घटनाओं पर रोक लगेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

नदीम उर्फ कल्लू उर्फ नूर मोहम्मद उर्फ आकाश पुत्र नाजिर अली निवासी रामपार्क खुदा बक्श कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 47 वर्ष

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण –

1.कॉपर की छोटी बडी रीलें कुल जन करीब 52.100 किलो ग्राम

2.रैकी करने मे प्रयुक्त मोटर साईकिल स्पलेण्डर

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त नदीम उर्फ कल्लू उर्फ नूर मोहम्मद उर्फ आकाश के विरूद्ध दिल्ली में 46 व गाजियाबाद में 01 कुल 47 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा एक शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान बरामद।

दिनांक 17.10.2024 को थाना वेव सिटी पर वादी राजकुमार पुत्र छविनाथ सिंह द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की दुकान में दिनांक 16/17.10.2024 दुकान की छत तोडकर वादी का मोबाइल फोन ब्रास की टोटी व अन्य कीमती सामान चोरी कर ले जाना । प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना वेवसिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । घटना के सफल अनावरण , बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 14.11.2024 को सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल ईनपुट के आधार पर चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त फिरोज पुत्र बाबूदीन निवासी यासीन गढ़ी कस्बा डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को कम्पोजिट विद्यालय उस्मान गढी डासना के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की 10 टोटी ब्रास , 05 एल्बो , 03 टी व 04 एमटी बरामद हुई । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं कपड़ा धोने का काम करता हूँ। ये सामान जो मुझसे बरामद हुआ है इसे मैंने दिनांक 17.10.2024 को मौका पाकर एक बंद दुकान का ताला तोड़कर चुराया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

फिरोज पुत्र बाबूदीन निवासी यासीन गढ़ी कस्बा डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

चोरी की 10 टोंटी ब्रास , 05 एल्बो , 03 टी व 04 एमटी बरामद।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त फिरोज उपरोक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद में चोरी के 02 मुकदमा , उत्तराखण्ड में चोरी का 01 व राजस्थान में चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक 06.10.2024 को थाना वेव सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी की बहन के पति व उसके परिवारजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज के रूप में फोर्चूनर कार की मांग करना तथा मांग पूरी ना होने पर उसकी बहन की हत्या कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना वेव सिटी पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 14.11.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल ईनपुट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता शिखा पुत्री जयवीर सिंह यादव नि0गण ग्राम पचौता थाना चोला जनपद बुलन्दशहर हाल पता राधा कृष्णा पब्लिक स्कूल वाली गली लालकुँआ पुलिस चौकी के पास कृष्णा विहार कालोनी थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष को शिव मन्दिर वाली गली बुलन्दशहर रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्ता ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमारा एक स्कूल है और स्कूल का मैनेजमेन्ट मेरे पापा और मेरा भाई शशांक देखता है और मेरे भाई शशांक की शादी उस लडकी से दिनाँक 16.02.2023 को हुई थी और हमें स्कूल के काम के लिए कुछ रूपये की जरूरत थी और हमने और मेरे भाई शशांक ने अपनी पत्नी से कुछ रूपये अरेन्ज करने के लिए बोला था इसी बात को लेकर वो दहेज की मांग की कहने लगी और वो नाराज थी हमने और मेरे भाई शशांक ने काफी मनाने का प्रयास किया और वो मान भी गयी थी परन्तु अचानक दिनांक 06.10.2024 को मेरी भाभी ने फांसी लगा ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पताः-

शिखा पुत्री जयवीर सिंह यादव नि0गण ग्राम पचौता थाना चोला जनपद बुलन्दशहर हाल पता राधा कृष्णा पब्लिक स्कूल वाली गली लालकुँआ पुलिस चौकी के पास कृष्णा विहार कालोनी थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 1500/- रुपये बरामद।

दिनांक 12.11.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त चमन पुत्र राजकुमार व साहब सिंह पुत्र ज्ञान सिंह निवासीगण कबूल नगर बेहटा हाजीपुर द्वारा मन्दिर के दानपात्र से 08-10 हजार रुपये चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 14.11.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. चमन पुत्र राजकुमार निवासी कबूल नगर वेहटा हाजीपुर थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 27 बर्ष 2.साहब सिंह पुत्र ज्ञान सिंह निवासी कबूल नगर बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष को मैट्रो पिलर न0 17 के पास से थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी के 1500/- रूपये बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम लोगो ने आनन्द विहार कॉलोनी के शिव मंदिर के दान पात्र से करीब 06-07 हजार रुपये चुराये थे। ये रुपये जो हमसे बरामद हुए है ये उन्ही रुपयों में से बचे हैं बाकी पैसे हमने अपने शौक में खर्च कर लिये।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1.चमन पुत्र राजकुमार निवासी कबूल नगर बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 27 बर्ष।

2.साहब सिंह पुत्र ज्ञान सिंह निवासी कबूल नगर बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

चोरी के 1500/- रूपये बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 14.11.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना पर दो पहिया वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त मौ0 शाहिद उर्फ सोनी पुत्र मौ0 खालिद निवासी म0नं0 एस 272 गली नम्बर 04 शहीदनगर थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष को गंदे नाले की पुलिया से करीब 30 कदम दूर गंदे नाले की दायी तरफ की सर्विस रोड पर थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की 01 स्कूटी बरामद हुई। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त मौ0 शाहिद उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त ने बरामद स्कूटी को विवेक विहार दिल्ली से चोरी किया था। जिसे बेचने की फिराक में घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

मौ0 शाहिद उर्फ सोनी पुत्र मौ0 खालिद निवासी म0नं0 एस 272 गली नम्बर 04 शहीदनगर थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:

- कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की 01 स्कूटी बरामद ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा खोड़ा क्षेत्रान्तर्गत हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार, निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रक्तरंजित आलाकत्ल 02 चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 13.11.2024 को थाना खोड़ा पर वादी श्री आसिफ पुत्र श्री नन्हे मलिक निवासी आरसी 1283, शंकर विहार रब्बानी मस्जिद, खोड़ा कालोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि मेरे पड़ोसी जाकिर से नाली के ऊपर मोटर साइकिल खड़ी करने को लेकर विवाद था दिनांक 13.11.2024 को जाकिर और उसके लड़के फरीद, शाकिर, वाजिद व अपने कुछ अन्य रिस्तेदारों के साथ मिलकर रब्बानी मस्जिद के पास तिराहे पर वादी के पिता नन्हे मलिक व वादी के भाई सलमान को घेरकर चाकू से बार कर दिया व जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। वादी के घायल पिता व भाई को ईलाज हेतु लाल बहादुर अस्पताल दिल्ली ले गये, जहाँ पर डॉक्टरों ने वादी के पिता को मृत घोषित कर दिया और भाई का ईलाज चल रहा है। जो कि मरणासन की स्थिति में है।

तत्काल थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा वादी की प्राप्त तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया । मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना पर दिनांक 14.11.2024 को उक्त घटना को कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1. जाकिर पुत्र नूर मोहम्मद निवासी रब्बानी मस्जिद के पास शंकर विहार खोडा कालोनी थाना खोडा कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र-करीब 58 वर्ष, 2. शाकिर पुत्र जाकिर निवासी रब्बानी मस्जिद के पास शंकर विहार खोडा ट्रांस हिण्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष को इन्दिरापुरम अंडरपास नहर पटरी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रक्तरंजित आलाकत्ल 02 चाकू बरामद हुआ तथा अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगातार प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त जाकिर व शाकिर उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि रोज नन्हे व उसके पुत्र से नाली साफ करने को लेकर व मोटर साइकिल खड़ी करने को लेकर विवाद रहता था। दिनांक 13.11.2024 को नन्हे व उसके पुत्रो ने

मिलकर हम लोगों से बहुत बत्तमीजी की और हमने अपनी बत्तमीजी का बदला लेने के लये अपने कुछ रिस्तेदारों के साथ रब्बानी मस्जिद पर नन्हे मलिक व सलमान पर चाकू से वार कर दिया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः</u>

1. जाकिर पुत्र नूर मोहम्मद निवासी रब्बानी मस्जिद के पास शंकर विहार खोडा कालोनी थाना खोडा कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र-करीब 58 वर्ष।
2. शाकिर पुत्र जाकिर निवासी रब्बानी मस्जिद के पास शंकर विहार खोडा ट्रांस हिण्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

- निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रक्तरंजित आलाकत्ल 02 चाकू बरामद।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम</u>

- थाना खोडा पुलिस टीम।